

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
SEWA KUTIR COMPLEX, KINGSWAY CAMP, DELHI-110009.

F No.76(275)/PMMVY/DWCD/Vidhan Sabha/2019-20/54

Dated: 22/08/19

To

The Deputy Secretary (Question branch)  
Delhi Vidhan Sabha Sectt.  
Old Sectt. Delhi-110054.

Sub:- Reply of Vidhan Sabha Starred Question No. 58 (asked by Mrs Promila Tokas)

Sir,

Please find enclosed 100 copies of reply of Vidhan Sabha unstarred Question No. 58 dt 26/08/2019 along with PDF file (asked by Mrs Promila Tokas) for further necessary action at your end.

This issue with the prior approval of competent authority.

Encl.: As Above

Yours Faithfully



S.C.Vats

Joint Director (FAS)

(S. C. VATS)  
Joint Director (DOP)  
Deptt. of Women & Child Development  
Govt. of Delhi  
K.G. Marg, New Delhi-110001

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता :- सेवा कुटीर परिसर, किंग्सवे कैंप, दिल्ली -100009

तारांकित प्रश्न संख्या- 58

दिनांक - 26-8-2019

प्रश्नकर्ता का नाम - श्रीमती प्रोमिला टोकस

माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

| प्रश्न   | उत्तर  |                           |                            |                        |         |         |       |
|--|--|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------|---------|-------|
| क) क्या यह सत्य है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में से केवल एक योजना ऑनलाइन है जिसके कारण जनता को असुविधा हो रही है;                      | जी नहीं ।<br>महिला एवं बाल विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजना विधवा निराश्रित महिला पेंशन जोकि पूर्णतः ऑनलाइन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना भी ऑनलाइन संचालित किया जाता है।  |                           |                            |                        |         |         |       |
| ख) क्या सरकार ने सभी योजनाओं को ऑनलाइन योजना के लिए प्रस्तावित किया है;  | जी हाँ ।   |                           |                            |                        |         |         |       |
| ग) यदि हाँ तो उसका पूरा ब्यौरा दीजिये;   | अभी विधवा एवं निराश्रित महिलाओं हेतु पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना को ऑनलाइन किया गया है। भविष्य में दो अन्य योजनाएँ - लाडली योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु एवं अनाथ कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना को ऑनलाइन कर दिया जायेगा।  |                           |                            |                        |         |         |       |
| घ) विभाग द्वारा लाडली योजना के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित एवं रद्द आवेदन पत्रों की संख्या बताइए और रद्द आवेदन पत्रों का पूरा विवरण दीजिये;                                | लाडली योजना के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित एवं रद्द आवेदन पत्रों विवरण निम्नप्रकार है:- <table border="1"><thead><tr><th>प्राप्त आवेदनों की संख्या</th><th>अनुमोदित आवेदनों की संख्या</th><th>रद्द आवेदनों की संख्या</th></tr></thead><tbody><tr><td>1061075</td><td>1017209</td><td>43866</td></tr></tbody></table> | प्राप्त आवेदनों की संख्या | अनुमोदित आवेदनों की संख्या | रद्द आवेदनों की संख्या | 1061075 | 1017209 | 43866 |
| प्राप्त आवेदनों की संख्या  | अनुमोदित आवेदनों की संख्या   | रद्द आवेदनों की संख्या    |                            |                        |         |         |       |
| 1061075  | 1017209  | 43866                     |                            |                        |         |         |       |
| ङ) महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी का कार्यभार देखरेख कर रहे अधिकारी का पूरा ब्यौरा दीजिये;  | अनुलग्नक- 1 संलग्न ।   |                           |                            |                        |         |         |       |
| च) विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता योजना को कब तक ऑनलाइन कर दिया जायेगा;  | विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु एवं अनाथ कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना को ऑनलाइन किया जाना प्रक्रियाधीन है।  |                           |                            |                        |         |         |       |
| छ) क्या विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता की राशि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे सभी श्रेणियों के लिए बराबर है; और | जी हाँ, किसी भी श्रेणी के लिए भिन्नता नहीं है एवं सभी श्रेणी में के लाभार्थियों को रु 30000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।   |                           |                            |                        |         |         |       |
| ज) यदि यह प्रत्येक श्रेणी के लिए भिन्न - भिन्न है तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिये ।   |  |                           |                            |                        |         |         |       |

24/8/19  
Dept. of Women & Child Development  
Govt. of NCT of Delhi

**Deptt. of Women & Child Development  
Govt. of NCT of Delhi**

**List of District Officers  
(Status as on 16.08.2019)**

| S.No. | Name & Designation                   | Phone No.  | Place of physical posting/Physically posted as                 |
|-------|--------------------------------------|------------|--|
| 1     | Dhirender Kumar, DANICS/Dy. Director | 8130604291 | District Officer (Central and New Delhi)                       |
| 2     | Kiran Gandhi Anjum, Sr. Supdt.       | 9560643483 | District Officer (East)  |
| 3     | Anita Gaur, Sr. Supdt.               | 9213930839 | District Officer (South)                                       |
| 4     | Manju Varshney, Sr. Supdt.           | 9891550990 | District Officer (North and North West-II)                     |
| 5     | Asha Gandhi, Sr. Supdt.              | 9871840336 | District Officer (West)  |
| 6     | Shalesh Kumar Srivastava, Sr. Supdt. | 9013270269 | District Officer (North West-I)                                |
| 7     | Nafees Ahmad, Supdt./CDPO            | 9818323033 | District Officer (South-West) - (on Current Duty Charge basis) |
| 8     | M.K. Chandra, Supdt./CDPO            | 8800811964 | District Officer (North-East) - (on Current Duty Charge basis) |

A  
19/08/19